कार्यालय, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/G/2021–22/19752/मूल पत्रावली/ 137 दिनांक : 18/11/2021

सम्भागीय संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा,
उदयपुर ।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
उदयपुर ।

जिला शिक्षा अधिकारी (मु.)
प्रारम्भिक शिक्षा,
उदयपुर ।

विषय : वर्ष 2021–22 की बजट घोषणा संख्या : 41.01.0 के तहत रा.प्रा.वि. को रा.उ.प्रा.वि. में क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रसंग : शासन उप सचिव, प्रा.शि. (आयोजना) विभाग, राजस्थान सरकार का पत्रांक : प.17(7)प्राशि/आयो./बजट घो./क्रमो/2021 जयपुर, दिनांक : 16.11.2021 ।

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष : 2021–22 के बिन्दु संख्या : 41.01.0 की पालना में एवं शासन उप सचिव, प्रा.शि. (आयोजना) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक : 16.11.21 के सन्दर्भ में निम्नलिखित रा.प्रा.वि. को रा.उ.प्रा.वि. में **क्रमोन्नत करने की स्वीकृति निम्नांकित शर्ताधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है** :–

जिला	ग्राम पंचायत	क्रमोन्नत किये गये विद्यालय का नाम	Dise code	NIC code	ब्लॉक	गांव/वार्ड	विधानसभा
UDAIPUR	CHANBORA	GOVT. PRIMARY SCHOOL SURPHALAYA (494618)	08260509001	494618	GIRWA	SUR PHALAYA	UDAIPUR RURAL (ST)

1. क्रमोन्नत विद्यालय सत्र 2021–22 से प्रारम्भ किया जायेगा ।
2. क्रमोन्नत विद्यालय में प्रारम्भ में कक्षा 6 संचालित की जायेगी, लेकिन पर्याप्त नामांकन होने पर कक्षा 7 व 8 भी साथ ही प्रारम्भ की जा सकेगी ।
3. क्रमोन्नत विद्यालय में पदों का आवंटन विभाग में उपलब्ध आरक्षित पदों में से स्टाफिंग पैटर्न में निर्धारित मानदण्डानुसार किया जायेगा ।
4. क्रमोन्नत विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने परिक्षेत्र के रा.प्रा.वि./रा.उ.प्रा.वि., जहां नामांकन की अपेक्षा कार्यरत शिक्षकों की संख्या अधिक है, उन विद्यालयों से तृतीय श्रेणी (L–2) के 03 शिक्षक लगाया जाना सुनिश्चित करावें ।

(काना राम)
I.A.S.
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं
पं.राज (प्रा.शि.) विभाग
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, शिक्षा (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) विभाग (स्वतंत्र प्रभार), पर्यटन एवं देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
4. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर ।

5. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
6. निजी सचिव, निदेशक, कार्यालय हाजा ।
7. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
8. स. लेखाधिकारी, बजट अनुभाग, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि शासन के प्रासांगिक आदेश की पालना में आरक्षित पदों में से प्रत्येक विद्यालय में तृतीय श्रेणी (L–2) के पद आवंटित करवाया जाना सुनिश्चित करें ।
9. सहायक निदेशक, सामान्य प्रशासन/मॉनिटरिंग/शाला दर्पण (प्रा.शि.)/शिक्षक संस्थापन अनुभाग, कार्यालय हाजा।
10. कम्प्यूटर एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं
पं.राज (प्रा.शि.) विभाग
राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय का पता–कार्यालय निदेशक प्रा.शि. राजस्थान, लालगढ़, बीकानेर, दूरभाष नंबर– 0151–2226551, ई–मेल–aayukt.ele@gmail.com वेबसाईट– www.education.rajasthan.gov.in